पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमरा न. 5221, शासन सचिवालय, जयपुर

फोन न. 0141–2227838 ; Email: env_raj@yahoo.co.in

लोक सूचना

सर्वसाधारण एवं विशेषकर परियोजना प्रस्तावकों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 14.03.2017 के द्वारा यह निर्देशित किया है कि उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाऐं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती है या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की जाती है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केन्द्रीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह भी निर्देशित किया है कि ऐसी परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, जो उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 14.03.2017 की जारी होने की तिथि को उल्लंघनकारी हैं, इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केवल इस अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 14.03.2017 के पश्चात किये गये किसी भी उल्लंघन के प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृती प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

अतः सभी परियोजना प्रस्तावक, जिनकी परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघनकारी है, चाहे वे अधिसूचना की अनुसूची के प्रवर्ग क अथवा ख से संबंधित हों, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13.09.2017 से पहले पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दें।

(आर.के .ग्रेवर)
शासन सचिव,
पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर एवं
सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण संघात
निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान , जयपुर

Department of Environment
Room No. 5221, Secretariat, Jaipur
Phone: 0141-2227838; email: env_raj@yahoo.co.in

Public Notice

Public in general and project proponents in particulars, are hereby informed that the Ministry of Environment & Forests and Climate Change, vide notification dated 14.3.2017 has directed that in case the projects or activities requiring prior Environmental Clearance (EC) under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level.

The MoEF & CC has further directed that the project or activities which are in violations as on the date of said notification will be eligible to apply for Environmental Clearance and the project proponents can apply for EC only within six months from the date of the Notification dated 14.3.2017.No case will be considered for grant of Environmental Clearance which comes into violation after the date of 14th March, 2017.

Therefore, all the project proponents whose projects or activities are in violation of the EIA Notification, falling under category A or category B of the Schedule, are hereby informed to apply for EC latest by 13.9.2017 to the MoEF&CC, New Delhi.

(R.K. Grover)
Secretary, DOE,
Government of Rajasthan and
Member Secretary, SEIAA, Rajasthan.